न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 96/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री कुमार कृष्ण निवासी मकान नं0 104 राधे नगर, हरणी महादेव रोड, भीलवाडा ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :21-12.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 48 एफ 473771 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 05.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा को दिनांक 12.10.2020 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/849 दिनांक 14.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 3 तक की सूचना हेतु कुल पृष्ठ संख्या 07 निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क/पोस्टल ऑर्डर कार्यालय में भिजवाकर प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 633 दिनांक 20.10.2020 से जरिये डाक अपीलार्थी को लिखा गया लेकिन आदिनांक तक अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में प्रतिलिपि शुल्क राशि के पोस्टल ऑर्डर न तो भिजवाये गये और ना ही स्वयं उपस्थित होकर प्रतिलिपि शुल्क राशि जमा करायी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया लेकिन अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में प्रतिलिपि शुल्क राशि के पोस्टल ऑर्डर न तो भिजवाये गये और ना ही स्वयं उपस्थित होकर प्रतिलिपि शुल्क राशि जमा करायी गयी अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक21-12-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा